निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-40/2017–18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री कलवन्त सिंह एवं श्री अंशुमन अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं द्वारा दिनांक 27.06.2017 से 01.07.2017 तक श्री हिमांशु मणि लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार व सिराज हुसैन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 08.08.16 से 16.08.16तक श्री निर्मल कुमार सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/15 से 03/16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – राजस्व वसूली, सम्पूर्ण जनपद देहरादून

   (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व ¼**: yk[k esa½**
2014-15	56522
2015-16	59162
2016-17	69333

(ii)(c) बजट का विवरण:-

विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	261.80	221.87	-	-		39.93
2015-16	-	-	363.41	327.45	-	-		35.96
2016-17	-	-	298.63	295.59	-	-		3.04

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **जिला आबकारी अधिकारी देहरादून**---ए---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव आबकारी>आबकारी आयुक्त >अपर आबकारी आयुक्त> संयुक्त आबकारी आयुक्त > उप आबकारी आयुक्त > सहायक आबकारी आयुक्त /जिला आबकारी आयुक्त>आबकारी निरीक्षक(आसवनी)>आबकारी सिपाही

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला आबकारी अधिकारी देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा</u>

भाग-2 'अ'

प्रस्तर-1 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयअवधि में आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना □1611.39 लाख

सभी आपत्तिया working of Distilleries in the state Thematic Audit (विषयक लेखापरीक्षा) में शामिल कर ली गयी है इसलिए प्रस्तर संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-1 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ☐ 3.37 लाख

सभी आपत्तिया working of Distilleries in the state Thematic Audit (विषयक लेखापरीक्षा) में शामिल कर ली गयी है इसलिए प्रस्तर संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

भाग-2 'क'

प्रस्तर-1 अनुज्ञापियों द्वारा निश्चित समयाअवधि मे आवश्यक दस्तावेज जमा न किए जाने के बावजूद लाईसेंस फीस जब्त न किया जाना ☐1611.39 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु नियम 18(3) मे यह प्रावधान किया गया है कि दुकान आंवटित होने के 20 दिन के अन्दर यदि अनुज्ञापी हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और स्थायी निवास प्रमाण-पत्र जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत नही करता है तो इस दशा मे अनुज्ञापी को आंवटित देशी/विदेशी मदिरा दुकान का आवटन अनुज्ञापी के जोखिम The Uttarakhand Excise (settlement of licenses for retail sale country /foreign liquor/beer rule, 2001) से स्वत: निरस्त माना जायेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये समस्त राजस्व को सरकार के पक्ष मे जबत् कर दिया जायेगा।

यदि आवेदक के पास पैन नम्बर नही हो, तो उसे दुकान आवंटन के 20 दिन के अन्दर पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 मे जनपद के किसी भी देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर दुकान (31 देशी मदिरा, 39 विदेशी मदिरा एवं 02 वियर दुकान) के अनुज्ञापियों द्वारा आवश्यक सभी/पूर्ण अभिलेख आबकारी नीति के नियम-18 के अनुसार निश्चित समयावधि मे प्रस्तुत नही किए गये थे। अत विदेशी मदिरा की लाईसेंस फीस □ 86869556/- एवं देशी मदिरा की लाईसेंस फीस □ 73957869/- एवं वीयर की लाईसेन्स फीस □360000/- एवं 30.03.2016 को जमा प्रतिभूति □ 12500/- कुल □ 161139925/- सरकार के पक्ष मे जब्त कर लाईसेन्स निरस्त किया जाना चाहिए था एवं इसके अतिरिक्त 20 दिन के अन्दर अन्य जमा राजस्व भी जब्त किया जाना चाहिए था। परन्तु विभाग द्वारा लाइसेन्स निरस्त कर प्रतिभूति जब्त की कार्यवाही नही की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि इससे कोई राजस्व क्षति नही हुई है तथा इसके संबंध मे मार्गदर्शन हेतु जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि लाइसेंस निरस्त न किए जाने के संबंध मे शासन से कोई आदेश निर्गत नही किया गया था। अत विभाग को अनुज्ञापियों का लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमा लाईसेन्स फीस व अन्य राजस्व जमा जब्त किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-2 'क'</u>

प्रस्तर-2 अनुज्ञापियों पर कम प्रशमन आरोपित किया जाना। □ 19.51 लाख

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग के पत्र संख्या 118/XXIII/2016/04(01) 2016 देहरादून दिनांक 25 फरवरी 2016 के के बिन्दु संख्या 22 (तीन) के अनुसार प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/वीयर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री किये जान पर प्रशमन आरोपित किया जायेगा।

पुन: तृतीय उल्लघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति मे से दो प्रतिशत की राशि जब्त करने का प्रावधान है। जबकि चतुर्थ या उससे अधिक प्रत्येक उल्लघन दर अग्रिम नगद जमा प्रतिभूति मे से तीन प्रतिशत की राशि जब्त करने का प्रावधान है।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी देहरादून मे जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षक की वाच पंजिका की जांच करने पर यह पाया गया कि एम0आर0पी0 से अधिक बिक्री करने पर चतुर्थ या उससे अधिक प्रत्येक उल्लघन पर अनुज्ञापी पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति के तीन प्रतीशत से प्रशमन किया जा रहा है। जबकि चतुर्थ या उससे अधिक प्रत्येक उल्लघन पर अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति के तीन प्रतिशत से प्रशमित किया जाना चाहिए था।

अत: प्रशमन कम आरोपित करने के कारण (संलग्न) अनुज्ञापियो पर कुल □ 1951299/- कम प्रशमन आरोपित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि आबकारी नीति के नियम 18 के पैरा (छ) मे प्रतिभूति की धनराशि जो कि एक माह के न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के बराबर हो, के उल्लेख के अनुसार ही आबकारी नीति के नियम-22 के पैरा 3 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रशमन आरोपित किया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि नियम 18 के पैरा (छ) मे द्वतीय प्रतिभूति नकद या बैंक गारण्टी के रुप

मे जमा करना अनिवार्य है। तथा नियम 22 (तीन) (4) के अनुसार अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति के तीन प्रतिशत की राशि जब्त की जाएगी। यदि विभाग का उत्तर माना भी जाए तो संलग्न सूची के क्रम सं0 1 से 7 तथा 14 से 16 तक अनुज्ञापियो पर नकद प्रतिभूति जमा करने के कारण □ 1025495/- प्रशमन किया जाना चाहिए था।

अत: प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-40/2017-18

संलग्नक

क्रम सं0	अनुज्ञापित का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	उल्लघन की तिथि व समय	उल्लघन की संख्या	प्रशमित की गई राशि	एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति	कुल अग्रिम नकद जमा प्रतिभूत	प्रशमन की राशि	कम आरोपित की गयी प्रशमित की राशि
1.	श्रीमती अनीता सक्सेना, विदेशी मदिरा, पटेलनगर	FL-5D	15.05.16	04	150319	5010626	10039252	301178	150859
2.	-तदैव-	FL-5D	21.05.17	05	150319	5010626	10039252	301178	150859
3.	-तदैव-	FL-5D	12.07.16	06	50178	5010626	10039252	301178	150859
4.	श्री प्रदीप विष्ट वेदशी मदिरा	FL-5D	21.05.16	04	50178	1672585	3345170	100355	50177
5.	-तदैव-	FL-5D	12.07.16	05	50178	1672585	3345170	100355	50177
6.	-तदैव-	FL-5D	19.07.16	06	50178	1672585	3345170	100355	50177
7.	-तदैव-	FL-5D	03.08.16	07	50178	1672585	3345170	100355	50177
8.	श्री सत्य प्रकाश कणिवाल, विदेशी मदिरा, राजपुर रोड-2	FL-5D	21.05.16	04	119060	3968659	7937318	238120	119060
9.	अनीता पो......... देशी मदिरी, पटेलनगर	CL-5C	25.05.16	04	176064	5868786	11737572	352127	176063
10.	अनीता पो......... देशी मदिरी	CL-5C	04.08.16	05	176064	5868786	11737572	352127	176063
11.	अनीता पो......... देशी मदिरी	CL-5C	26.08.16	06	176064	5868786	11737572	352127	176063
12.	अनीता पो......... देशी मदिरी	CL-5C	27.08.16	07	176064	5868786	11737572	352127	176063
13.	श्रीमती पुष्पा पाठक विदेशी मदिरा, मोहकपुर	FL-5D	16.10.16	04	8913	2970674	5941248	178237	89116

14.	संदीप भण्डारी विदेसी मदिरा रानीपोखरा	FL-5D	12.08.16	04	124071	4135691	8271382	248141	124070
15.	संदीप भण्डारी विदेसी मदिरा रानीपोखरा	FL-5D	14.09.16	05	124071	4135691	8271382	248141	124070
16.	संदीप भण्डारी विदेसी मदिरा रानीपोखरा	FL-5D	30.11.16	06	124071	4135691	8271382	248141	124070
17.	लीलावती भट्ट विदेशी मदिरा चकराता	FL-5D	05.12.16	04	13376	445865	891730	26752	13376
18.								योग	1951299/-

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 बैंक गारण्टी पर निर्धारित दर से कम स्टाम्प शुल्क लिया जाना ☐ 3.37 लाख

इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 33 के अनुसार विधि या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लिये अधिकृत पुलिस अधिकारी के सिवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यो के सम्पादन मे कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाये, या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नही है, उसे जब्त करेगा।

पुन: अनुसूची एक ख-12 –क के अनुसार बैंक गारण्टी पर स्टाम्प शुल्क प्रत्येक ☐ 1000/- या उसके भाग के लिये पांच रुपये परन्तु शुल्क ☐10000/- से अधिक नही होगा।

कार्यालय जिला आबकारी देहरादून के देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर लाइसेन्सियों की पत्रावली की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार लाइसेन्स धारक द्वारा जो बैक गारण्टी जमा की गयी थी उस पर स्टाम्प शुल्क कम अदा किया गया था जिसके कारण कुल ☐ 337100/- कम स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि शासनादेश सं0 118/वि0अनु0-5/स्टाम्प/2004 दिनांक 31 मार्च, 2004 के पैरा -3 मे जमानत पत्रो पर ☐100 का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त शासनादेश कार्य संविदा लिखतों के लिये माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा किया गया है न कि बैक गारण्टी के संबंध मे लिखतो के लिए किया गया है।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
22/97-98	-	1
29/2000-01	1,2	1
38/2015-16	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
22/97-98	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1	उच्च अधिकारियो एवं शासन द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नही की गयी		
29/2000-01	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या 1,2 भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1			
38/2015-16	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या 1 भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या 1			

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**
(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0 नाम पदनाम

(i) श्री पवन कुमार सिंह जिला आबकारी अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र